म0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

निविदा आमंत्रण

म0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के उपयोग हेतु (18 X 23 साइज) में पोस्टर /कलेण्डर मुद्रण कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है । इच्छुक फर्म दिनांक 17/08/2011 को कार्यालयीन समय में बन्द लिफाफे में अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते है । संबन्धित जानकारी एवं शर्ते वैब साइट www.mpslsa.nic.in पर देख सकते है । Sd.

(अनिल कुमार चतुर्वेदी)
सदस्य–सचिव

– शर्ते –

1– निविदा फार्म हेतु रू 100.00 शुल्क जमा किया जाकर रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुतं करना होगा । शुल्क वापस नही किया जावेगा ।

2– 2 अलग–अलग कलेण्डर/पोस्टर का मुद्रण कराया जाना है ।
कलेण्डर/पोस्टर का साइज 18 X 23 होगा ।

3– पोस्टर 170 जी. एस. एम. आर्ट पेपर पर कलेण्डर टाइप में मुद्रित होगा जिसमें कलेण्डर के उपर एवं नीचे टीन की चौडी पट्टी होगी और उपर की पट्टी में टेग लगा होगा तथा सामने की साइड में प्लास्टिक कोटेड (लेमीनेशन) होगा ।

4– कलेण्डर / पोस्टर का बार्डर, मोनो,(न्याय सब के लिए)टाइटिल,हेडिगं लाल रंग से तथा शेष नीले रंग से (डबल कलर में) मुद्रित कराया जाना है ।

5– प्रत्येक कलेण्डर 24000 की संख्या में मुद्रित होगी अर्थात 2 प्रकार के कलेण्डर के कुल 48000 प्रतियां मुद्रित होगें ।

6– निविदा स्वीकृत के पश्चात किसी भी सामग्री के मुल्य में परिवर्तन मान्य नही किया जावेगा अर्थात निविदा मे दर्शाई गई दरों पर ही मुद्रण कार्य किया जाना होगा ।

7– निविदा के साथ यथा संभव जिन सामग्री के नमूना प्रस्तुत किया जा सकता है उनके नमूना संलग्न किया जावें ।

8– निविदा के साथ रू.13000.00 रूपये तेरह हजार मात्र की धरोहर राशि का बैक डाफट **M.P.State Legal Servises Authority Jabalpur** के नाम का जमा करना होगा जो निविदा स्वीकृत न होने पर वापस योग्य होगी परन्तु निविदा स्वीकार होने पर निविदा के अनुसार कार्य न करने पर वह राशि जप्त हो जावेगी ।

9– बिलों का भुगतान चैक के माध्यम से किया जावेगा अतः चैक किस नाम से होगा एवं खाता कमांक तथा बैक के नाम का स्पष्ट उल्लेख करें ।

10– निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।

11– फर्म /मुद्रणालय का नियन्त्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से पंजीयन होना आवश्यक होगा ।

12– कलेण्डर /पोस्टर का मुद्रण किया जाकर कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रदाय किया जाना होगा ।

(अनिल कुमार चतुर्वेदी)
सदस्य–सचिव